प्रेस नोट ***30/09/2024***

चोरी की एक बोरी लहसुन (करीब 40 किग्रा) के साथ 02 शातिर चोर गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 29.09.2024 को कोतवाली नगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 318/24 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्तगण नीरज राजभर पुत्र सुदामा राजभर निवासी अलीनगर थाना सरायलखन्सी, शिवा राजभर पुत्र सुरेश राजभर निवासी खालशा उत्तर टोला थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ के कब्जे से सब्जी मण्डी भुजौटी से चोरी की एक बोरी लहसुन करीब 40 किग्रा बरामद किया गया। उक्त अभियुक्तो को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. नीरज राजभर पुत्र सुदामा राजभर निवासी अलीनगर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
2. शिवा राजभर पुत्र सुरेश राजभर निवासी खालशा उत्तर टोला थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. एक बोरी लहसुन (करीब 40 किग्रा)।

दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 30.09.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा खलिहानी तिराहा के पास से मु0अ0सं0 153/24 धारा 64, 316(2) बीएनएस व धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त हसन रजा पुत्र इजहार अंसारी निवासी नुरपुर थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर तथा सरायलखन्सी पुलिस द्वारा दुल्लाहपुर बाजार से मु0अ0सं0 318/24 धारा 376(3),363,366,506 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त दिपेन्द्र चौहान पुत्र स्व0 रामप्रसाद चौहान निवासी सलाहाबाद बेलचौरा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध 01 अभियुक्त आजीवन कारावास व ₹1,25,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय ASJ- 1 जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 30-09-2024 को मु0अ0सं0 170/2021 धारा 363, 302, 201, 377, 511 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना घोसी में दोषसिद्ध अभियुक्त बलवन्त कुमार उर्फ राजा पुत्र रामवृक्ष निवासी सोनाडीह थाना घोसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा एवं ₹1,25,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री विमल श्रीवास्तव, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी विनोद थाना घोसी का सराहनीय योगदान रहा।